RECEIVED
24 MAY 2025
ForumIAS ACADEMY
MUKHERJEE NAGAR BRANCH
ForumIAS
CENTER CODE
1903

(Don't Write anything in this Area)

UPPSC MAINS 2024 - CRASH COURSE

Generic Booklet

Test Name/Code/No. : 771 2201

Name	ATUL TRIPATHI		
Email ID.			
Roll No.	1910174418		
Mobile No.		Date	23/05/25

Allotted Time : 90 Minutes

Instructions to Candidates -

- There are 10 Questions in this Question paper.
- All Questions are Compulsory.
- Answers must be attempted in the QCA Booklet only.

Q. No.	*Grade/Score*
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Overall Grade/Score	

Q.1)

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ तथा भारत एक गणतंत्र बना। यह एक साथ विविधता व एकता स्थापना में सहायक रहा है, यह इसकी सर्वोत्तम विशेषता है।

भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं

(1) संख्या के आधार पर लगभग 465 अनु० के साथ विश्व का सर्वाधिक वृहद संविधान।

(2) यह भारत को एक गणतंत्र घोषित करता है।
(यथा) - प्रस्तावना में उल्लेख

(3) एकात्मकता व संघीय संतुलन का सुंदर संतुलन।
(यथा) - A-1. भारत राज्यों का संघ होगा।

④ संसदीय स्वरूप व लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना।

यथा - अनु० 75 व अनु 326 (सार्व० वयस्क मताधिकार)

⑤ धर्मनिरपेक्षता की स्थापना व अल्पसंख्यक संरक्षण

यथा - अनु - 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता

⑥ मूल अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों को महत्व।

यथा - भाग - 3

⑦ नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से सामा० व आर्थिक लोकतंत्र के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना

यथा - भाग - 4

⑧ नम्यता व अल्प अनम्यता के मध्य संतुलन व स्वयं को समयानुसार परिमार्जन की विशेषता। यथा - अनु० 368

उपर्युक्त विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान 75 वर्षों से राष्ट्र को उत्कृष्ट संचालन व मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Don't Write anything in this Area)

Q.2)

42वें संविधान संशोधन अधि० 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द का समावेशन किया गया तथा भारत को पंथनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया।

पंथनिरपेक्षता की विशेषता
- राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं।
- धार्मिक मामलों में पक्षपात नहीं।
- सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता
- धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को सम्मान

पंथनिरपेक्षता के अनुरूप संवैधानिक प्रावधान

① समानता का अधिकार →
- अनु॰ सभी को विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण होगा।

- अनु॰ 15 → धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति व जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
- अनु॰ 16 - लोक नियोजन में धार्मिक भेदभाव नहीं।

(2) धार्मिक स्वातंत्र्य का अधिकार - (अनु॰ 25-28)
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की व धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता
- धार्मिक प्रबंधन का अधिकार (A. 26)
- किसी पर धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता (A. 27)

(3) समान नागरिक संहिता का प्रावधान (अनु॰ 44)

(4) सभी संवैधानिक पद व संस्थाएं सभी धर्म के व्यक्तियों हेतु खुली हैं।

(5) प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार
A. 325 में यथाउपबंधित

अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना के अलावा कई ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हैं। यही कारण है कि एस॰ आर॰ बोम्मई वाद में धर्मनिरपेक्षता को मूलभूत ढांचे का भाग माना गया था।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Q.3)

निजता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, फिर भी सामान्य शब्दों में निजता को अपनी अंतरंगता के सामाकरण की सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

जस्टिस पुट्टास्वामी वाद → निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार (A. 21) का अभिन्न अंग माना गया।

निजता का अधिकार : जीवन के अधिकार के रूप में

① एक सफल व सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यक्ति को अपने जीवन पर अधिकार होता है; निजता उसका भाग।

② किसी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी निजी जानकारियाँ किससे व कहाँ साझा करता है।

③ अपनी पहचान व अंतरंगता पर अधिकार व्यक्ति को गरिमामयी जीवन हेतु आवश्यक

यथा - अपनी लैंगिक पहचान न साझा करना।

④ व्यक्ति सामाजिक कलंक व वंचना से बच सकता है - जीवन का अधिकार तुलसित

यथा - समलैंगिक व्यक्ति सामाजिक भेदभाव से बच सकते हैं।

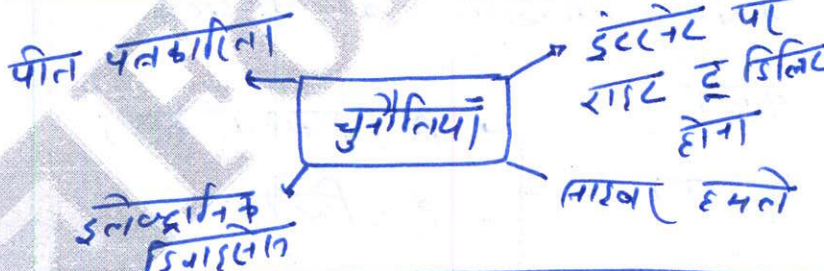

स्पष्ट है कि निजता गरिमापूर्ण जीवन हेतु आवश्यक है। बदलती वर्तमान परिस्थितियों में इसे डेटा प्रोटेक्शन साइबर सुरक्षा आदि द्वारा परिरक्षित किया जाना चाहिए

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Don't Write anything in this Area)

Q.4)

एक संक्रमणीय मत प्रणाली एक निर्वाचन पद्धति है ; जिसके माध्यम से किसी पद के लिए उम्मीदवार को चुना जाता है।

यथा – भारत में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति

एकल संक्रमणीय मत

↓

(1) ~~मत~~ मतदाता किसी एक व्यक्ति को न चुनकर, विभिन्न व्यक्तियों को वरीयता क्रम में चुनता है।

यथा मतदान —
- A (प्रथम वरीयता)
- B (द्वितीय ")
- C (तृतीय ")

(2) वरीयता क्रमों को जोड़कर मत मूल्य बनाया जाता है।

③ ~~सबसे~~ कई चरणों में गिनती, जिसमें सबसे कम मत मूल्य वाले उम्मीदवार का मत मूल्य ; अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया जाता है।

④ उपर्युक्त प्रक्रिया कई वांछित चरणों में अपेक्षित विजेता घोषित किया जाता है।

⑤ सामान्यतः बहुमत प्राप्त 51% व्यक्ति ही चुनाव जीतता है।

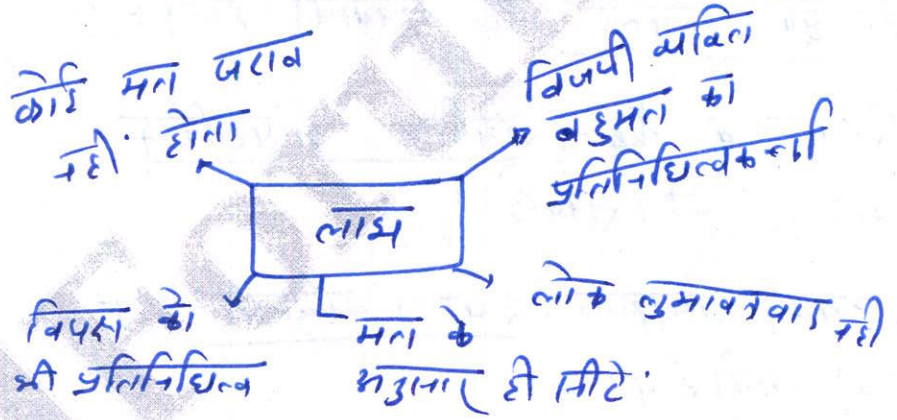

स्पष्ट है कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली व्यापक बहुमत प्रतिनिधित्वकारी है। कई आयोगों ने भारत में FPTP के स्थान पर इसकी लागू करने की अनुशंसा की है।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Q.5)

राष्ट्रीय विधिक सहायता अधि०

1987 द्वारा लोक अदालतों को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।

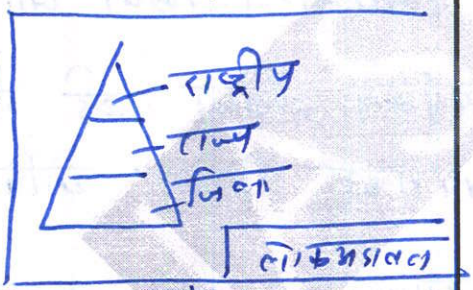

लोक अदालत

- एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र
- इसमें न्यायालय में लंबित या न्यायालय से पूर्व मामलों की सुनवायी होती है।
- सिविल व शमनीय आपराधिक मामलों की सुनवाई।
- इसकी अध्यक्षता 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा की जाती है।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य व बाध्य निर्णय
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ।
- निःशुल्क विधिक सहायता; यदि लंबित वादों का शुल्क लौटा दिया जाता है।

(Don't Write anything in this Area)

लोक अदालत के उद्देश्य

- अनु॰ 14 विधि के समक्ष समता ; अनु॰39 A के संवैधानिक ध्येय की पूर्ति हेतु।
- वहनीय व किफायती न्याय प्रदायगी।
- न्यायालयी बोझ को कम करने मे सहायक
- प्राकृतिक न्याय व लचीली प्रक्रिया के माध्यम से न्याय। (साक्ष्य अधि॰ 1908 से बंधा हुआ नहीं)
- हारने - जीतने की जगह ; आपसी समझौते से मामलों निपटान → स्थायी समाधान
- सामाजिक न्याय व न्याय का विकेंद्रीकरण होता है।

चुनौतियाँ
- स्थायी लोक अदालत का अभाव
- राज्य सरकारों द्वारा व्यय कम

समाधान → न्यायिक व्यय बढ़ाना व जिलों में स्थायी लोक अदालत स्थापना

स्पष्ट है कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र में लोक अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे और सशक्त करने की आवश्यकता है।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Don't Write anything in this Area)

Q.6)

भारतीय स्वतंत्रता आंदो० के जन दबाव में, ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। जिसमें एक संघीय राज्य की परिकल्पना की गयी। भारतीय संविधान के प्रावधान इसमें प्रेरित नजर आते हैं।

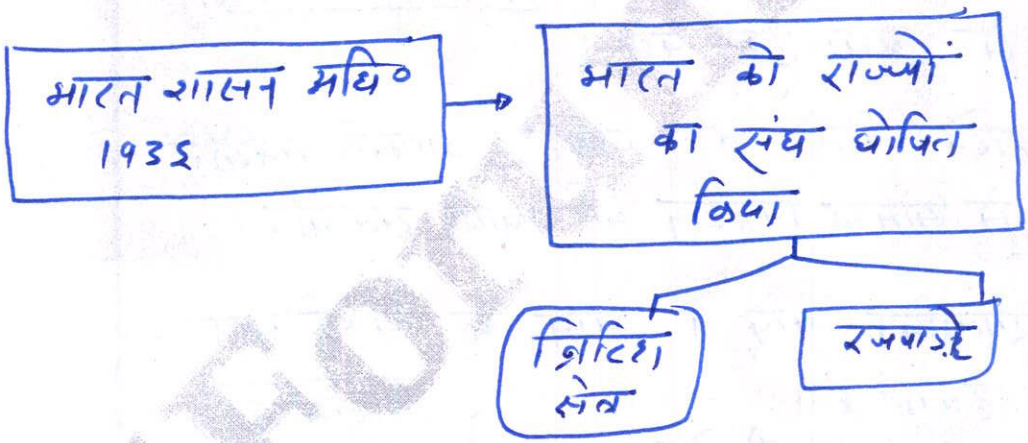

भारत शा० अधि० 1935 ने संघीय संविधान निर्धारित किया

① इसके माध्यम से एक संघ की परिकल्पना की, जिसे भारतीय संविधान में भी जगह दी गयी।

यथा - अनु० 1 भारत राज्यों का एक संघ होगा।

② इसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया → संघ सूची, राज्य सूची व यह भारत के अनु 246 में प्रावधानित।

- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची

③ केंद्रीय व राज्य की विधायिका की स्थापना → भारतीय संविधान में भी परिलक्षित। यथा - अनु० 79 व 168 (राज्य विधायिका)

④ राज्यों को स्वायत्तता, जिसे संविधान में भी अपनाया गया है।

परंतु भारतीय संघीय संविधान भा० शासन अधि० 1935 की वर्णन काफी नहीं है →

① भारतीय परिसंघीय व्यवस्था को भारतीय परिस्थितियुक्त परिवर्तित —

किया गया है।

(२) 1935 के संघ में गवर्नर जनरल को राज्यों के विधेयकों को वीटो की शक्ति थी; संविधान में ऐसा नहीं।

(३) 1935 में राज्य बजट के प्रावधानों को गवर्नर जनरल रोक सकता था बिना किसी कारण के।

(४) बजट के 40% हिस्से पर मतदान नहीं (राज्य विधायिका का सीमित अधिकार)

(५) भू-राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय व पुलिस व भूमि पर राज्यों का अधिकार नहीं।

स्पष्ट है कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय व्यवस्था को निर्धारित तो किया था, परंतु भारतीय संविधान का संघ अधिक सटीक व भारतीय परिस्थितिनुसार है।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Q.7)

भारतीय संविधान के अनु० 44 में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रावधान किया गया है। इस ही में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू की।

समान नागरिक संहिता → व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों, यथा - विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में धर्म निरपेक्ष रूप से समान नियमों के समुच्चय को समान नागरिक संहिता कहते हैं।

UCC के पक्ष में तर्क

- यह अनु० 44 में वर्णित संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करता है।
- धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त करता है।

(Don't Write anything in this Area)

→ मानवाधिकारों व लैंगिक अधिकारों की सुरक्षा करता है।

यथा - महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार।

→ देश में आपराधिक कानून समान है, UCC सिविल कानूनों की समानता की वकालत करता है।

→ वैयक्तिक विषयों में एक मानक प्रक्रिया का निर्माण कर सामाजिक उन्नयन

यथा - महिला सशक्तिकरण

UCC के विपक्ष में तर्क

→ अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव।

यथा - आदिवासियों द्वारा विरोध

→ सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार (A. 29-30) व सांस्कृतिक आक्रमण का भय

→ बिना सहमति के आरोपण लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध।

→ सांस्कृतिक खतरे को महसूस करने से सामाजिक स्थिरता पर प्रभाव

क्या किया जा सकता है?

→ UCC हेतु धर्मगुरुओं के माध्यम से व्यापक विचार विमर्श

→ UCC को लेकर आशंकाओं का निराकरण

→ NGO की सहायता

→ शैक्षिक जागरूकता।

निश्चित रूप से आधुनिक समाज हेतु UCC जरूरी है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रोत्साहित किया है। लेकिन इसे व्यापक विमर्श द्वारा ही लाया जाना चाहिए।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Q.8)

भारतीय संविधान में विधि निर्माण की शक्ति स्पष्ट रूप से विधायिका को प्रदान की गयी है। इस प्रक्रिया की शुरुआत विधेयकों के माध्यम से होती है।

विधेयक → वाचन → चर्चा → मतदान → विधि निर्माण

संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक

① साधारण विधेयक -

- किसी भी सदन में प्रस्तुत
- सामान्य विधिक विषयों हेतु
- सामान्य बहुमत द्वारा पारित → उपस्थित मतदाताओं के आधे से अधिक
- संयुक्त बैठक

(२) धन विधेयक -

- अनु॰ 110 में वर्णित
- केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित
- राज्य सभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है।
- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन
- पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र
- वित्त मंत्री द्वारा (सरकारी विधेयक)
- संयुक्त बैठक नहीं।

(३) वित्त विधेयक -

- किसी भी सदन में (वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है।
- लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्ति
- साधारण बहुमत से पास)
- संयुक्त बैठक का प्रावधान

(४) संविधान संशोधन विधेयक - (अनु॰ 368)

- दोनों सदनों में पुनःस्थापित
- सरकारी व गैर सरकारी
- विशेष बहुमत द्वारा पारित (पूरे सदन का बहुमत व उपस्थित व मत देने वाले का 2/3)
- राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्य
- संयुक्त बैठक नहीं।

सरकारी विधेयक	गैर-सरकारी विधेयक
① केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।	① मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा।
② ~~सरकार~~ सत्ताधारी दल या गठबंधन का सदस्य	② विपक्ष का व्यक्ति भी ~~जाती~~ प्रस्तुत कर सकता है।
③ 7 दिन पूर्व नोटिस देना होता है।	③ एक माह पूर्व नोटिस
④ राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो का इस्तेमाल नहीं; (जब तक मंत्रिपरिषद न कहे)	④ निरपेक्ष वीटो का इस्तेमाल
⑤ सत्तापक्ष दृष्टिकोण	⑤ विपक्ष दृष्टिकोण

संसदीय कार्यप्रणाली में विधेयक आधार की भूमिका अदा करते हैं व अंततः कानून बनते हैं।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Q.9)

गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप पंचायती राज को अ. राज्य के नीति निदेशक तत्व (A.40) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

[अनु°] A. 40 - राज्य पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान करेगा।

[DPSP में शामिल करने के आधार] - सकारा° पक्ष

→ संविधान निर्माता राज्य पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं डालना चाहते थे।

→ राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा गया।

यथा - संघ कमेटी

समानुरूप अधिकार - प्रवर्तनीय - मूलाधिकार / अप्रवर्तनीय DPSP

- तत्कालिन भारत की सामाजिक संरचना के कारण →
  डॉ अम्बेडकर सामंतवादी समाज के प्रति सशंकित → पंचायती राज से वंचित दलित पर वर्चस्वशाली का आधिपत्य होगा।
- नवस्वतंत्र राष्ट्र में इतने बड़े स्तर पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव चुनौति होती → इसलिए अप्रवर्तनीय रखा गया।

आलोचना → DPSP मे शामिल करने के नकारात्मक पक्ष

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धारा अवरुद्ध हुई।
- विधित: प्रवर्तनीय न होने के कारण प्रभावी रूप से लागू न हो पाना

→ अलग-अलग राज्यों की इच्छा पर निर्भरता।

→ जब लोगों के चुनाव रुचितापूर्वक संपन्न हुए तो पंचायती व्यवस्था हेतु ऐसे प्रयास किए जा सकते थे।

उपरोक्त कमियों को दूर करने हेतु 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों की स्थापना की गयी। तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का गांधीवादी सपना साकार हुआ।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Q.10)

अनु० 124 द्वारा स्थापित

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर शीर्षस्थ है। इस क्रम वह कई न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।

सर्वो० न्या० की न्यायिक शक्तियाँ

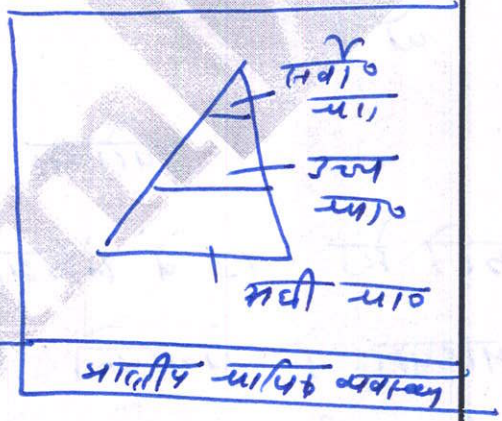

① मूलाधिकारों के संरक्षक के रूप में -

- अनु० 13 व 32 के तहत सीधे सर्वो० न्या० (SC) में मामला दायर किया जा सकता है।
- रिट जारी करने की शक्ति - बंदी प्रत्यक्षीकरण; परमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण आदि।

② आरंभिक अधिकारिता (अनु॰ 131)
- → केंद्र राज्य के मध्य विवाद
- → राज्य-राज्य या केंद्र या अधिक राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाना।

③ अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनु॰ 132, 133)
- उच्च न्यायालय के सिविल व आपराधिक निर्णयों के विरुद्ध अपील व सुनवाई।

④ विशेष याचिका की सुनवाई करना (A. 136)
- ↳ भारत के किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील।

⑤ न्यायिक अवमानना की शक्ति
- धारा — न्यायिक अवमानना अधि॰ 1971

(Don't Write anything in this Area)

न्यायिक समीक्षा - ◦ न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कृत्यों व कार्यों की संवैधानिकता को जाँचना ही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। [यथा] वक्फ बिल की जांच

◦ यह संविधान में स्पष्टतः उल्लेख नहीं, लेकिन अनु० 13 व 32 इसे संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

◦ संविधान के अंतिम निर्वचनकर्ता के कारण भी SC को अधिकार प्राप्त है।

◦ लोकतंत्र व नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई है।

◦ यह संविधान में वर्णित नियंत्रण व संतुलन को स्थापित करता है।

न्यायिक समीक्षा के कारण ही संवै० सर्वोच्चता स्थापित की जा सकी है।

संविधान के मूलभूत ढाँचे की अवधारणा न्यायिक समीक्षा का उदा० है।

Overall Grading (√)

Poor			Average			Good		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

150 Hrs Crash course to cover UPPSC Syllabus through 500+ Question & Answer

ForumIAS

UPPSC MAINS 2024 CRASH COURSE

Daily Answer Writing Practice Before Every Class

14 Revision Test After Completion of Every Subject

16 Full Length Test (12 GS + 2 Essay + 2 Hindi) as per UPPSC Pattern

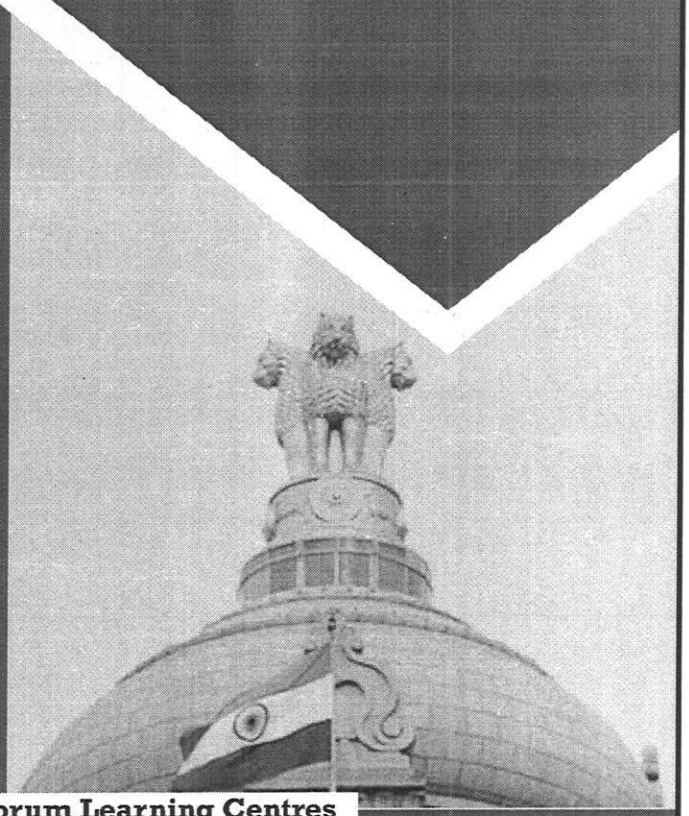

हिंदी

ENGLISH

Forum Learning Centres

- NEW DELHI: 2nd Floor, IAPL House, 19, Pusa Road, Opp. Metro Pillar 95-96, Karol Bagh - 110005
- MUKHERJEE NAGAR: Ground Floor, 856, Banda Bahadur Marg, Near Batra Cinema, Delhi - 110009 9311740941

admissions@forumias.academy | https://academy.forumias.com 9311740400